B. Com (Hons) II   Sub - Business Regulatory Framework.

Saathi

Date __/__/__

Q. What is an Agreement? Explain the main characteristics of an Agreement.

Ans:- Meaning & Definition of an agreement

ठहराव उस समय होता है जबकि दो व्यक्तियों का किसी सामान्य उद्देश्य के लिए मिलन होता है अर्थात जब दो व्यक्ति एक ही बात पर तथा एक ही अर्थ में सहमत हो, तो ठहराव का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार कर लेता है, तो यह ठहराव कहलाता है। एक वैध ठहराव के लिए उसका राजनियम द्वारा कार्यान्वित होना आवश्यक है।

पोलक (Pollock) के अनुसार, "ठहराव किसी एक अथवा अधिक पक्षकारों द्वारा दूसरे पक्षकार अथवा पक्षकारों के मध्य कुछ कार्य करने अथवा न करने का चिन्तन है।

लीक (Loake) के अनुसार, " ठहराव दो व्यक्तियों के होता है जो कि अनुबन्ध की विषय वस्तु के सम्बन्ध में एकमत होते हैं"

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 2(e) के अनुसार, "प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार, "प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो" ठहराव कहलाता है" इस परिभाषा के अनुसार वचन एवं वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें प्रतिफल विद्यमान हो ठहराव कहलाता है। "जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है, उस पर अपनी सहमति प्रकट कर दे तो कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, इस प्रकार से स्वीकार किया गया प्रस्ताव वचन (Promise) बन जाता है।" अतः स्वीकार किया गया प्रस्ताव ही वचन कहलाता है।

सारांश में - ठहराव = प्रस्ताव + स्वीकृति।

ठहराव के लक्षण :- (Characteristics of agreement)

:→ एक ठहराव के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं।

(1) दो या दो से अधिक पक्षकार :- ठहराव के लिए कम से

कम से दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति स्वयं के साथ किसी प्रकार का ठहराव नहीं कर सकता है।

(2) पारस्परिक सहमति :→ दोनों पक्षकारों को एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना आवश्यक है, अन्यथा उनके बीच कोई भी ठहराव नहीं होगा। पक्षकारों में मानसिक एकात्मकता का होना आवश्यक है।

(3) वैधानिक सम्बन्ध :— ठहराव के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों का उद्देश्य आपस में वैधानिक दायित्वों को उत्पन्न करना होना चाहिए।

(4) पारस्परिक संवहन :→ किसी प्रस्ताव के प्रति केवल मानसिक स्वीकृति ठहराव की रचना नहीं कर सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि पक्षकार अपना समान अभिप्राय (common intention) एवं इच्छा को संवहन कर दें।

(5) परिणाम :→ ठहराव के फलस्वरूप केवल सम्बन्धित पक्षकार ही आपस में प्रभावित होने चाहिए, अन्य कोई पक्षकार नहीं।

Jagdish Prasad Baishantri
Deptt of Commerce
Dr L.K.V.D College Tajpur